

खबरसंक्षिप्त

युवाओं को जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए यूथ कनेक्ट कार्यक्रम

श्री विजयपुरम@पदमावत मीडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ओर से सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूथ कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अंडमान लॉ कॉलेज और अंडमान कॉलेज के 51 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में युवाओं को जिम्मेदार नागरिकता, संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति, सड़क सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया गया। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी खबरों और डीपफेक से बचने के उपाय भी बताए गए। संस्थान के प्रधानाचार्य उमा शंकर ने कहा कि पुलिस और युवाओं के बीच संवाद एवं विश्वास मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपनी सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मकता को राष्ट्र निर्माण में लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

खाद्य सुरक्षा परिवारों की एलपीजी आईडी मैपिंग जरूरी



सलूंवर@पदमावत मीडिया। मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर योजना का लाभ लेने के लिए खाद्य सुरक्षा में शामिल पात्र परिवारों की एलपीजी आईडी का जनाधार एवं राशन कार्ड से मैपिंग होना जरूरी है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है और शेष राशि की सब्सिडी जनाधार से जुड़े बैंक खाते में दी जाती है। जिला रसद अधिकारी भागुराम मेल्ला ने बताया कि जिन परिवारों की एलपीजी आईडी मैपिंग नहीं हुई है, वे अपनी एलपीजी आईडी एवं जनाधार लेकर निकटतम उचित मूल्य दुकान पर मैपिंग करवा सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के फॉलोअप शिविरों में भी पोस मशीन के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 7,401 परिवारों की एलपीजी मैपिंग की जा चुकी है। पात्र परिवारों से योजना का लाभ लेने के लिए जल्द मैपिंग करवाने की अपील की गई है।

सखी किसानों को सपोर्ट सिस्टम पर मिलेगा 10 हजार रुपए तक अनुदान



सलूंवर@पदमावत मीडिया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यानिकी विभाग ने सब्जी उत्पादक किसानों के लिए सपोर्ट सिस्टम योजना शुरू की है। इसके तहत बेल वाली फसलों को खेपे और तार के सहारे ऊपर बढ़ाया जाएगा, जिससे फसल को बारिश, तेज हवा और जमीन के संपर्क से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। योजना में किसान न्यूनतम 0.40 से अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रो-राटा आधार पर लाभ ले सकते। 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर निरधारित लागत पर 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। लौकी, तोरी, खीरा, करेला और अन्य बेल वाली सब्जियों में सपोर्ट सिस्टम से फसल प्रबंधन, सिंचाई, दवा छिड़काव और तुड़ाई आसान होगी तथा उपज की गुणवत्ता बेहतर होने की संभावना है। इच्छुक किसान उद्यान विभाग कार्यालय या क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। लाभ के लिए उपयोग की गई सामग्री के बिल प्रस्तुत करने होंगे और सत्यापन के बाद अनुदान दिया जाएगा।

नशे के नेटवर्क पर राजस्थान पुलिस का शिकंजा, हर बुधवार होगी एंटी नारकोटिक कार्रवाइयों की समीक्षा

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश—सिर्फ नशा बरामदगी और गिरफ्तारी तक सीमित न रहे कार्रवाई, पूरे तस्करी नेटवर्क को किया जाए चिन्हित

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर। राजस्थान में नशे के बढ़ते कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अपनी रणनीति को और मजबूत करते हुए अब एंटी नारकोटिक कार्रवाइयों की साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्णय लिया है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय में प्रत्येक बुधवार नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्य स्तरीय अभियानों और जिलों में की जा रही कार्रवाइयों की विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य नशे के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी, परीणामोन्मुख और नेटवर्क आधारित बनाना है। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पहली साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में नशे के कारोबार, तस्करी के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और इससे जुड़े अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए और कार्रवाई को केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखा जाए। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नशे की तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क को चिह्नित करना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। नशीले पदार्थों के स्रोत, सप्लाई चैन, तस्करी में शामिल लोगों, सहयोगियों और नेटवर्क को संरक्षण देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के शुरुआती सात महीनों में ही पिछले वर्ष की तुलना में अधिक एंटी नारकोटिक कार्रवाइयों की गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्रवाई की गति को और बढ़ाते हुए नशे से जुड़े मामलों में अनुसंधान की गुणवत्ता, नेटवर्क की पहचान और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।



पुलिस मुख्यालय की ओर से नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में एंटी नारकोटिक गतिविधियों के आधारभूत ढांचे को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जिलों के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत सूचना तंत्र और प्रभावी निगरानी के माध्यम से नशे के कारोबार पर प्रहार करना है। डीजीपी ने सभी जिलों में नशे के हॉटस्पॉट चिह्नित कर वहां नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री या सेवन की गतिविधियां सामने आ रही हैं, वहां पुलिस की मौजूदगी और निगरानी बढ़ाई जाए। साथ ही नशे की तस्करी

में शामिल अपराधियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता गतिविधियों को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। डीजीपी के निर्देश पर 19 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में स्कूलों एवं कॉलेजों में विशेष नशा मुक्ति एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि नशे की रोकथाम केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए संबंधित विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और आमजन के सहयोग से व्यापक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। पुलिस अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर नशे की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। अब प्रत्येक बुधवार होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिलावार एंटी नारकोटिक कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसमें दर्ज प्रकरणों, गिरफ्तारियों, जब्ती, अनुसंधान की प्रगति, नशे के स्रोत एवं सप्लाई नेटवर्क की पहचान तथा नेटवर्क से जुड़े अपराधियों

के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। इससे जिलों में चल रहे अभियानों की नियमित निगरानी के साथ कार्रवाई के परिणामों का भी आकलन किया जा सकेगा।

राजस्थान पुलिस का यह नया साप्ताहिक समीक्षा तंत्र नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लगातार गति देने और कार्रवाई को केवल छोटे स्तर के तस्करों तक सीमित रखने के बजाय नशे के पूरे नेटवर्क तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस का जोर अब नशे की सप्लाई रोकने के साथ उसके स्रोत और नेटवर्क को तोड़ने तथा युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर रहेगा। बैठक में महानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा शरत किवराज, उप महानिरीक्षक पुलिस कार्मिक एवं प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर कुँवर राष्ट्रदीप, उप महानिरीक्षक पुलिस एएनटीएफ अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक एएनटीएफ अमित जैन सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

व्यावहारिक मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो-टैक्सी चालकों का बैज निलंबित होगा: प्रताप सरनाईक

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

मुंबई। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि नियम की पालना 20 अगस्त से शुरू होगी। मराठी का व्यावहारिक ज्ञान नहीं रखने वाले चालकों को पहले एक माह का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर बैज तीन माह तक निलंबित किया जा सकता है और जानबूझकर मराठी सीखने से इनकार करने पर बैज व परमिट रद्द करने की कार्रवाई होगी। मंत्री ने बताया कि पिछले 105 दिनों से चलाए गए मराठी भाषा अभियान में करीब 1 लाख 65 हजार 600 गैर-मराठी ऑटो-टैक्सी चालकों ने प्रशिक्षण लिया है। नए परमिट और बैज जारी करते समय आरटीओ



अधिकारी चालक से बातचीत के जरिए मराठी के व्यावहारिक ज्ञान की जांच करेंगे और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में देशभर से आए लोगों को रोजगार के अवसर मिलते रहे हैं, लेकिन राज्य की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना भी जरूरी है। वहीं ऑटो-टैक्सी परमिट के लिए फर्जी अधिवास प्रमाणपत्रों की शिकायतों की भी जांच की जाएगी। सरनाईक ने बताया कि ऑटो-टैक्सी चालकों के कल्याण के लिए गठित महामंडल से 37 हजार से अधिक चालक जुड़ चुके हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए करीब 57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

युवा महोत्सव में युवाओं से कैरियर और राष्ट्र निर्माण पर संवाद

उदयपुर@पदमावत मीडिया। महानगर युवा आयाम की ओर से सूचना केंद्र में युवा महोत्सव-लोक सेवा विद्यार्थी सम्मान आयोजित किया गया। इसमें युवाओं से कैरियर, व्यक्तिगत विकास, संस्कार, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर संवाद किया गया। काउंसलर एवं शिक्षक चंद्र प्रकाश ने भारतीय ज्ञान परंपरा, सामाजिक समरसता और नागरिक शिष्टाचार पर विचार रखे तथा युवाओं से सकारात्मक बदलाव के लिए पंच परिवर्तन अपनाने का आह्वान किया। अक्षय पात्र फाउंडेशन के अमय आत्मा कृष्ण दास ने सत्य, रज और तम गुणों की जानकारी देते हुए आत्मअनुशासन एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की बात कही। सूचना केंद्र के उपनिदेशक गौरीकांत शर्मा ने कहा कि युवाओं को सही कैरियर दिशा और मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक हैं। उन्होंने युवाओं से सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।



मानव तस्करी और नाबालिगों के यौन शोषण मामले में 33 दोषियों को सजा, पांच को आजीवन कारावास

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

हैदराबाद। महिला सुरक्षा शाखा, सीआईडी, हैदराबाद द्वारा जांच किए गए मानव तस्करी, नाबालिगों के यौन शोषण और अनैतिक देह व्यापार से जुड़े गंभीर मामले में विशेष न्यायालय ने 33 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय, पोक्सो अधिनियम मामले, एफटीएससी, हाका भवन, हैदराबाद ने 19 अगस्त 2026 को एससीपीसी संख्या 61/2017 में फैसला सुनाया। यह मामला सीआईडी थाना हैदराबाद में दर्ज अपराध क्रमांक 14/2015 से संबंधित था। मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ पोक्सो अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। **नौ नाबालिग बालिकाओं का किया गया था बचाव** मामले के अनुसार 17 जुलाई 2015 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। वह कृषि कार्य करती थी। इसी दौरान उसके गांव के परिचित एक व्यक्ति ने रोजगार दिलाने का झंझा दिया। बाद में उसे अन्य आरोपियों से मिलवाया गया और विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया, जहां उसे कथित रूप से देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। करीब चार महीने तक आरोपियों के नियंत्रण में रहने के बाद वह वहां से निकलने में सफल रही और सीआईडी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। **33 दोषियों को अलग-अलग सजा** मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने 33 आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें पांच आरोपियों को आजीवन कारावास, तीन को 14 वर्ष का कठोर कारावास, 14 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 11 आरोपियों को तीन वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया। न्यायालय के फैसले में पोक्सो अधिनियम, भारतीय दंड संहिता तथा अनैतिक व्यापार निवारण



अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषसिद्धि शामिल है। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

नौ पीड़ित बालिकाओं को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा

न्यायालय ने पीड़ित बालिकाओं को हुए शारीरिक और मानसिक आघात को देखते हुए नौ पीड़ित बालिकाओं को पांच-पांच लाख रुपये, यानी कुल 45 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि उन्हें कानून के तहत पहले मिल चुके मुआवजे के अतिरिक्त होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को मुआवजे की राशि शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों पर लगाया गया जुर्माना भी पीड़ितों को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले में विशेष लोक अभियोजक मोरेल्ला रमा देवी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। जांच अधिकारियों में डीएसपी सुरेश बाबू, डीएसपी के. श्रीनिवास राव, पुलिस निरीक्षक के. बलराम रेड्डी, न्यायालय ड्यूटी अधिकारी सैती श्रीनिवास रेड्डी तथा केस मॉनिटरिंग अधिकारी पुलिस निरीक्षक के. सत्यनारायण रेड्डी शामिल रहे। महिला सुरक्षा शाखा, सीआईडी, तेलंगाना पुलिस ने कहा कि यह फैसला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने तथा पीड़ितों की सुरक्षा, पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

आरएएस राजकुमार कस्वा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर का पदभार संभाला

राजसमंद@पदमावत मीडिया। आरएएस राजकुमार कस्वा ने बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजसमंद का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने से पहले उन्होंने प्रभु श्रीनाथजी एवं श्रीद्वारकाधीराजी के दर्शन किए। कस्वा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता रहेगा। पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण करने तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर विभागीय समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।



जिले की स्वास्थ्य योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन

जयपुर@पदमावत मीडिया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में हुई। बैठक में जिले में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटीलार्वा गतिविधियां बढ़ाने तथा बीमारी और सर्पदंश के मामलों की पोर्टल पर समय पर एंटी के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होने वाले कुछ रोग अभियान और गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, परिवार कल्याण, लाडो प्रोत्साहन योजना, आभा आईडी, एचपीवी टीकाकरण और संपूर्ण टीकाकरण की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा आमजन को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, आयुष्मान एवं वंदन, टीबी मुक्त भारत अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा हुई।



राग-द्वेष से दूर रहकर बदलाव की भावना अपनाएं: साध्वीश्री वारिधि

उदयपुर@पदमावत मीडिया। शहर में चतुर्मास के दौरान श्री वर्धमान पु्कर गुरु ध्यान केंद्र, दूधिया गणेश जी में निर्मल गंगा आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला के तहत दैनिक प्रवचन आयोजित हुआ। साध्वीश्री डॉ. वारिधि म.सा. ने कहा कि जीवन में राग-द्वेष से दूर रहकर बदला लेने के बजाय बदलाव की भावना अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेमभाव से जीवन आनंदमय बनता है और मनुष्य को शेष जीवन प्रेम, सद्भाव एवं सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। साध्वीश्री वसुधा म.सा. ने मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताते हुए इसे धर्म एवं सद्कर्मों में लगाने का संदेश दिया। इस अवसर पर साध्वीश्री वसुधा म.सा., साध्वीश्री विजेता म.सा. एवं साध्वीश्री डॉ. वारिधि म.सा. ने भक्तिमय गीत प्रस्तुत किया। केंद्र अध्यक्ष निर्मल पोखरना ने राग-द्वेष से ऊपर उठकर समाज हित में एकजुट होने का आह्वान किया। आगामी 23 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व रक्षा सूत्र के साथ मनाया जाएगा।



मुंबई में ‘पादचारी प्रथम’ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, लालबाग में 6 अनधिकृत दुकानें और 43 फेरीवाले हटाए



मुंबई। पैदल यात्रियों के लिए फुटपथों को अतिक्रमण मुक्त, सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मुंबई महानगरपालिका की ओर से चलाए जा रहे ‘पादचारी प्रथम’ अभियान के तहत लालबाग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। महानगरपालिका के एक दक्षिण विभाग की टीम ने लालबाग के प्रमुख गणपति स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले 6 अनधिकृत दुकानों सहित 43 फेरीवालों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान फुटपाथों पर बनाए गए 24 अस्थायी ताड़पत्री शेड और 3 अनधिकृत कट्टे भी हटाए गए। अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित क्षेत्रों में सफाई कर फुटपाथों को पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए सुगम बनाने का प्रयास किया गया। कार्रवाई के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कालाचौकी पुलिस का बंदोबस्त भी तैनात रहा। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर)

प्राज्ञक्ता वर्मा-लवंगारे के नेतृत्व में मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ‘पादचारी प्रथम’ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत फुटपाथों पर अनधिकृत रूप से दुकानें लगाने, सामान रखने और अन्य प्रकार से रास्ता बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त (परिमंडल-2) प्रशांत सपकाळे के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त (एफ दक्षिण विभाग) वृषाली इंगुले के नेतृत्व में लालबाग क्षेत्र में विशेष कार्रवाई

की गई। टीम ने लालबाग के प्रमुख गणपति स्थलों एवं आसपास के क्षेत्रों के साथ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग से लगे फुटपाथों का निरीक्षण किया। इस दौरान पैदल यात्रियों के आवागमन में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को हटाया गया।

महानगरपालिका की कार्रवाई के दौरान 6 अनधिकृत दुकानों, 24 अस्थायी ताड़पत्री शेड, 3 अनधिकृत कट्टों तथा 43 फेरीवालों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद फुटपाथ एवं आसपास के क्षेत्र में सफाई भी

कराई गई, जिससे पैदल यात्रियों के लिए आवागमन का मार्ग अधिक व्यवस्थित हो सके। महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों और दुकानदारां से अपील की है कि फुटपाथों पर किसी प्रकार का अनधिकृत निर्माण न करें और

न ही सामान रखकर पैदल यात्रियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण कर पैदल यात्रियों का मार्ग बाधित करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

खबरसंक्षिप्त

ड्रग फ्री लद्दाख अभियान के तहत जीडीसी द्रास में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम



द्रास@पदमावत मीडिया। ड्रग फ्री लद्दाख अभियान के तहत जिला पुलिस द्रास की ओर से राजकीय डिग्री कॉलेज द्रास में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम में नशीले पदार्थों से जुड़े कानूनी प्रावधान, नशे के प्रकार, इसके दुष्प्रभाव और बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी द्रास ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे की रोकथाम में उनकी भूमिका के बारे में बताया। जिला अस्पताल द्रास के चिकित्सा अधिकारी ने नशे के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक द्रास ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, साथियों एवं समाज में जागरूकता फैलाने तथा नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आह्वान किया। कॉलेज प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुलिस का आभार जताया।

पीटीएस स्टॉपसर में 99 पुलिसकर्मियों के पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू



लेह@पदमावत मीडिया। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) स्टॉपसर, चुचोट में 99 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और पांच फॉलोअर्स पदों के लिए पदोन्नति प्रशिक्षण ले रहे पुलिसकर्मी शामिल हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक फिटनेस और कार्यकुशलता बढ़ाना है। पुलिस महानिदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों को अनुशासन, ईमानदारी, शारीरिक दक्षता और जन्मसेवा के उच्च मानक बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाकर भविष्य की अधिक जिम्मेदारियों के लिए स्वयं को तैयार करने का आह्वान किया। इस अवसर पर डीआईजी एलकेआर कौशल कुमार शर्मा, पीटीएस के प्रधानाचार्य एवं आईआरपी 25वीं बटालियन के कमांडेंट अल्ताफ अहमद शाह सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। डीजीपी ने प्रशिक्षणरत भर्ती एसपीओ और कमांडो से भी संवाद किया।

32nd Avenue Group मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 71.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क



नई दिल्ली@पदमावत मीडिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 32nd Avenue Group मामले में पीएमएलएफ के तहत 71.60 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां और परिसरपतियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। यह कार्रवाई दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस की ओर से दर्ज मामलों के आधार पर की गई जांच के तहत हुई है। ईडी के अनुसार निवेशकों को निश्चित किराये, पुनर्खरीद और नियमित रिटर्न का भरोसा देकर वाणिज्यिक इकाइयों में निवेश कराया गया। जांच में एक ही संपत्ति को कई लोगों को बेचने या पट्टे पर देने तथा जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप सामने आए हैं। जांच में निवेशकों से प्राप्त धनराशि को 50 से अधिक कंपनियों और एलएलपी के नेटवर्क के जरिए विभिन्न स्टारों पर स्थानांतरित करने की जानकारी सामने आई। ईडी ने गुरुग्राम, गोवा और महाराष्ट्र की 76 अचल संपत्तियों के साथ 38 चल संपत्तियां भी कुर्क की हैं। ईडी ने इससे पहले अप्रैल 2026 में दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपुर और मुंबई में सात परिसरों पर तलाशी ली थी। मामले में आगे की जांच जारी है।

कंपनी डायरेक्टर बनकर 48.60 लाख रुपये की साइबर ठगी, बिहार-झारखंड से दो आरोपी गिरफ्तार

पदमावत मीडिया
padmavalmedia@gmail.com

मुंबई। दक्षिण साइबर पुलिस थाना, अपराध शाखा, मुंबई ने सीईओ/बॉस फ्रॉड के मामले में कार्रवाई करते हुए बिहार और झारखंड से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 एयरटेल सिम कार्ड, एक मेगाफोन मोबाइल फोन और सिम कार्ड सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एयरटेल मित्र एप वाला पोको मोबाइल जब्त किया है। पुलिस जांच में आरोपियों की सात साइबर अपराधों में संलिप्तता सामने आई है। पुलिस के अनुसार 26 फरवरी 2026 को 43 वर्षीय शिकायतकर्ता के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने वाट्सऐप के माध्यम से संपर्क किया। आरोपी ने स्वयं को कंपनी का निदेशक बताकर शिकायतकर्ता का विश्वास हासिल किया और कंपनी के काम से संबंधित बताते हुए 48 लाख 60 हजार 511 रुपये भेजने के लिए प्रेरित किया। शिकायत के आधार पर 26 फरवरी 2026 को अपराध क्रमांक 15/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी

अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने ठगी की पूरी रकम को रोकने में सफलता हासिल की। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता के कार्यालय के नंबर और वाट्सऐप नंबर पर कंपनी के निदेशक बनकर संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड महाराजगंज, बिहार के निवासियों और अन्य नागरिकों के दस्तावेजों तथा ई-कैवाईसी का गलत इस्तेमाल कर अवैध रूप से चालू किए गए थे। यह सिम कार्ड सिवान, बिहार के एयरटेल सिम विक्रेता आमिर चांद मोहम्मद खान ने कथित रूप से ग्राहकों की जानकारी के बिना पुराने नंबर पोर्ट आउट कर नए सिम सक्रिय कर तैयार किए थे। पुलिस के अनुसार इन सिम कार्डों को दूसरे आरोपी सूरज प्रदीप कुमार साव उर्फ विशाल को करीब 1,500 रुपये प्रति सिम के हिसाब से बेचा गया। लूट-देन की रकम सूरज साव ने काभिर के एयरटेल पेमेंट बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से भेजी थी। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जांच दल ने 16 अगस्त 2026 को आमिर खान को रुकुंदीनपुर, सिवान, बिहार से गिरफ्तार किया।



उसकी पूछताछ और तकनीकी जांच से सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले दूसरे आरोपी सूरज कुमार प्रदीप कुमार साव उर्फ विशाल का पता चला, जिसे 16 अगस्त 2026 को कुमायधुबी, तालुका चिरकुंडा, झारखंड से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता सात साइबर अपराधों में सामने आई है। इनमें दो मामले दक्षिण

फोन तथा सिम कार्ड सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एयरटेल मित्र एप वाला पोको मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आमिर चांद मोहम्मद खान, उम्र 22 वर्ष, निवासी रुकुंदीनपुर, सिवान, बिहार, एयरटेल सिम वितरक तथा सूरज कुमार प्रदीप कुमार साव उर्फ विशाल, निवासी कुमायधुबी, धनबाद, झारखंड के रूप में हुई है। दक्षिण साइबर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अनजान नंबर से वाट्सऐप पर किसी व्यक्ति की तस्वीर लगाकर पैसे भेजने के लिए कहा जाए तो पहले संबंधित व्यक्ति से उसके नियमित नंबर पर संपर्क कर पुष्टि करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर संपर्क करें। अपने नाम पर कितने सिम कार्ड जारी हैं, इसकी जानकारी संचार साथी पोर्टल के माध्यम से भी जांची जा सकती है। इस कार्रवाई में दक्षिण विभाग साइबर पुलिस थाना, अपराध शाखा मुंबई की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सफलता हासिल की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है।

जनजाति प्रतिभाओं का होगा सम्मान, 2 सितंबर तक आवेदन

उदयपुर@पदमावत मीडिया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों एवं युवाओं को अकादमिक और रोजगार क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2026-27 के जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टीआरआई निदेशक ओपी जैन ने बताया कि इसकु अर्थी 2 सितंबर 2026 रात 11.59 बजे तक विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रिंट दस्तावेजों सहित 15 सितंबर शाम 5 बजे तक टीआरआई अशोक नगर, उदयपुर में व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक से जमा कराना होगा। आवेदक टीएसपी क्षेत्र का मूल निवासी एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना चाहिए तथा अंतिम तिथि को उसकी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उपलब्धि अवधि अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2026 निर्धारित है। चयनित प्रतिभाओं को निर्धारित सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में दी जाएगी तथा समारोह में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

पिंपळवंडी बालिका अत्याचार एवं हत्या मामले में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा : उप मुख्यमंत्री

मुंबई@पदमावत मीडिया। पुणे जिले के जुन्नर तहसील के पिंपळवंडी में साढ़े नौ वर्षीय बालिका के साथ अत्याचार के बाद हत्या की घटना को उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और झकझोर देने वाली घटना बताया है। उन्होंने पुणे जिला पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल से दूरभाष पर चर्चा कर मामले की जांच की जानकारी ली तथा प्रकरण की पारदर्शी एवं गहन जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि यह घटना अत्यंत नितंदनीय है और मानवता को शर्मसार करने वाली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है तथा मामले की जांच तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि दोषी को जल्द से जल्द कोर्ट पर सजा मिले, इसके लिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने को लेकर मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से विशेष आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालिका के परिवार के साथ शासन पूरी मजबूती से खड़ा है। पिंडित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वह जल्द ही स्वयं पिंपळवंडी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी और उनकी स्थिति की जानकारी लेंगी। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को मामले की जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने तथा सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की बात कही गई है।



{ खास/खबर/राष्ट्रीय }

महावारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर किशोरियों को किया जागरूक

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अदकालिया बालिका विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम

पदमावत मीडिया
padmavalmedia@gmail.com

सलूम्वर। महिला अधिकारिता विभाग की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अदकालिया में किशोरियों के लिए महावारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक सावधानियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोतीलाल मीणा के निदेशानुसार आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं को बताया गया कि मासिक धर्म किशोरावस्था में होने वाली एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है। इसके संबंध में सही जानकारी और वैज्ञानिक समझ होना आवश्यक है। बालिकाओं को मासिक धर्म से



जुड़ी झिझक, भ्रांतियों एवं सामाजिक संकोच को दूर कर स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि विद्यालयी आयु में किशोरियों के लिए व्यक्तिगत

स्वच्छता का विशेष महत्व है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बालिकाओं को सेनेटरी पैड को समय-समय पर बदलने, स्वच्छ शौचालय का उपयोग

करने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की जानकारी दी गई। बालिकाओं को नियमित हल्का व्यायाम एवं योग करने, संतुलित और पौष्टिक आहार लेने तथा पर्याप्त आराम करने की सलाह

दी गई। साथ ही तनाव से दूर रहने और अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या को छिपाने के बजाय अभिभावकों, शिक्षकों अथवा स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बातचीत करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बालिकाओं को कालीबाई भील संबल उड़ान योजना के बारे में बताते हुए कहा गया कि योजना के माध्यम से किशोरियों एवं महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ निःशुल्क सेनेटरी पैपकिन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कार्यक्रम में जिला मुख्यालय पर जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की तथा अपनी जिज्ञासाएं भी रखीं। विभागीय प्रतिनिधियों ने बालिकाओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर सलूम्वर ब्लॉक की सुपरवाइजर अंजली मेहता, पत्राधार कार्यक्रम एवं सम्मान केंद्र की केंद्र प्रबंधक प्रियंका सोनी, परामर्शदाता पायल, विद्यालय के अध्यापकगण, बालिकाएं एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक पर जरूरतमंद परिवारों को बांटी राशन सामग्री, बच्चों को स्कूल बैग और कपड़े

पदमावत मीडिया
padmavalmedia@gmail.com

भटेवर/उदयपुर। भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में आदिब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन भोंडर के तत्वावधान में भटेवर, अडिंदा एवं गुलाब नगर क्षेत्र में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री की किट वितरित की गई, वहीं बच्चों को स्कूल बैग, कपड़े और बिस्किट के पैकेट प्रदान किए गए। फाउंडेशन की ओर से सुशील जैन जोरकपुर, अमित जैन दिल्ली गुरु भक्त परिवार उदयपुर के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री किट उपलब्ध कराई गई। वहीं लोकेश कोठारी भोंडर की ओर से बच्चों को कपड़े वितरित किए गए। पारस जैन बम्बोरा के सहयोग से बच्चों को स्कूल बैग तथा लोकेश जैन रोडदा की ओर से बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए। कार्यक्रम से पूर्व प्रातःकाल गोसेवा भी की गई। गोसेवा में कमलाबाई मोहनलाल मोटावट गिंगला की ओर से



सहयोग प्रदान किया गया। सेवा कार्य के दौरान जरूरतमंद परिवारों एवं बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। संस्था निदेशक अनिल स्वर्णकार ने कहा कि सेवा कार्य केवल सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में विश्वास और उम्मीद जगाने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि जहां दवा कम नहीं आती, वहां जरूरतमंद लोगों की दुआएं काम आती हैं। फाउंडेशन निरंतर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और भविष्य में भी इसी भावना

के साथ सेवा कार्य जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक जैसे पवन अवसरों को मानव सेवा एवं जीवदया से जोड़ना समाज के लिए प्रेरणादायी है। जरूरतमंद परिवारों की सहायता, बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना और गोसेवा जैसे कार्यों से सेवा एवं करुणा की भावना को मजबूत किया जा सकता है। इस अवसर पर संस्था निदेशक अनिल स्वर्णकार, ईश्वर प्रजापत, निर्मल रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

CBI ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़े हिसार निवासी आरोपी को किया गिरफ्तार

हिसार के कम से कम चार लोगों को 2025 में भेजने का आरोप, म्यांमार-कंबोडिया स्थित स्कैम कंपाउंड से जुड़े तार; सोशल मीडिया के जरिए देता था नौकरी के झांसे

पदमावत मीडिया
padmavalmedia@gmail.com

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दक्षिण-पूर्व एशिया में संचालित स्कैम कंपाउंड से जुड़े साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिसार निवासी एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार आरोपी एजेंटों और सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों के उस नेटवर्क का हिस्सा है, जो आकर्षक विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भेजता था। आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई की जांच के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए भारतीय नागरिकों को आकर्षक रोजगार के अवसरों का लालच देकर दक्षिण-पूर्व एशिया ले जाया जाता था। इसके बाद उन्हें मुख्य रूप से म्यांमार और कंबोडिया में



संचालित स्कैम कंपाउंड में पहुंचाया जाता था, जहां उन्हें ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिन्हें सीबीआई ने साइबर स्लेवरी की स्थिति बताया है। **हिसार क्षेत्र के कम से कम चार लोगों को भेजने का आरोप** सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने वर्ष 2025 में हिसार क्षेत्र के कम से कम चार लोगों को ऐसे स्कैम कंपाउंड तक पहुंचाया था। जांच के दौरान इन पीड़ितों के बयान सामने आए हैं, जिनसे थोखे और शोषण का एक गंभीर पैटर्न सामने आया है। सीबीआई के अनुसार कुछ

पीड़ितों को वहां से वापस भारत लौटने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ी, जबकि कुछ को स्कैम कंपाउंड से बाहर निकलने और स्वदेश लौटने के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को वहां भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। **मोबाइल से मिले महत्वपूर्ण साक्ष्य** सीबीआई ने आरोपी के कब्जे से जब्त मोबाइल उपकरण से महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं। इन साक्ष्यों से आरोपी के म्यांमार और कंबोडिया स्थित स्कैम कंपाउंड में सक्रिय भर्तीकर्ताओं के साथ संबंध होने के संकेत मिले हैं। इसके अलावा आरोपी से जुड़े कई क्रिप्टोकॉरेसी लेन-देन की भी जांच की जा रही है। सीबीआई को आशंका है कि ये लेन-देन स्कैम कंपाउंड संचालकों की ओर से एजेंट को दिए जाने वाले कमीशन का हिस्सा हो सकते हैं। **इंस्टाग्राम पर नौकरी के विज्ञापन, टेलीग्राम से संपर्क**

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम के माध्यम से आकर्षक नौकरी के विज्ञापन प्रकाशित कर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद मैसैजिंग ऐप टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क और बातचीत की जाती थी। इस तरह सोशल मीडिया और डिजिटल संचार माध्यमों का इस्तेमाल संचालकों की पहचान और उन्हें विदेश में रोजगार के नाम पर नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता था। **दिसंबर 2025 में दर्ज हुआ था मामला** सीबीआई ने बताया कि भारतीय नागरिकों को साइबर स्लेवरी के लिए स्कैम कंपाउंड तक पहुंचाने वाले एजेंटों के नेटवर्क के खिलाफ दिसंबर 2025 में मामला दर्ज किया गया था। इसी जांच के तहत मई और जून 2026 में सीबीआई ने चार राज्यों में आठ ठिकानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया था। उस कार्रवाई

में इस मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। **विदेश में नौकरी के नाम पर आने वाले ऑफर से सावधान रहने की अपील** सीबीआई ने नागरिकों से विदेश में नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया, मैसैजिंग ऐप या अनौपचारिक संपर्कों के जरिए मिलने वाले प्रस्तावों को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। एजेंसी ने कहा है कि किसी भी विदेशी रोजगार के प्रस्ताव की वास्तविकता की जांच अनिवार्य और आधिकारिक माध्यमों से की जानी चाहिए। सीबीआई के अनुसार इस प्रकार के फर्जी रोजगार प्रस्ताव केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनके जरिए लोगों को शोषण, गंभीर कानूनी परेशानियों तथा शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा **इंरपुर@पदमावत मीडिया।** नगरीय प्रशासक आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मतदान दलों का गठन, प्रशिक्षण, ईवीएम रेंडमाइजेशन, मतपत्र, पोलिंग पार्टी रवानगी, स्टर्निंग रूम, मतगणना कक्ष, रूट चार्ट, वाहन व्यवस्था सहित विभिन्न चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रेगर ने सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों को अपने दायित्व गंभीरता और जिम्मेदारी से निभाते हुए सभी कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए।



खबरसंधिप्त

10 लाख रुपये की रिश्वत लेते
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का उप
नियंत्रक लेखा गिरफ्तार

नई दिल्ली@पदमावत मीडिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली में स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार (आईएफए) के रूप में कार्यरत उप नियंत्रक लेखा सदीप (आईसीएसएस: 2020) को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार आरोपी के खिलाफ 18 अगस्त 2026 को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि सदीप ने शिकायतकर्ता से 15 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। यह रकम निजी कंपनी के लंबित अनुबंध के नवीनीकरण से संबंधित फाइल को शीघ्र निपटाने के बदले मांगी गई थी। बातचीत के बाद आरोपी 10 लाख रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। शिकायत के सत्यापन के बाद सीबीआई ने 18 अगस्त को जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान आरोपी लोक सेवक को उसकी पत्नी के माध्यम से 10 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ लिया गया। सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

सीबीआई ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीबीआई ने कहा कि भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध उसकी सख्त कार्रवाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बिहार के सभी जिलों में बनेगी जिला दंगा निरोधी बल की इकाई

पटना@पदमावत मीडिया। बिहार में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी जिलों एवं अनुमंडल स्तर पर जिला दंगा निरोधी बल की इकाइयां गठित की जाएंगी। राज्य में कुल 49 कंपनियां बनाई जाएंगी, जिनके लिए 294 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक जिले में तीन प्लाटून होंगी और प्रत्येक प्लाटून में 47 प्रशिक्षित जवान होंगे। बल में महिला पुलिसकर्मी, अश्व सैस एवं लाठी दस्ता, सशस्त्र बल, चालक और वायरलेस ऑपरेटर सहित अन्य आवश्यक दल शामिल होंगे। दंगा, सांप्रदायिक तनाव, हिंसक प्रदर्शन, भीड़ नियंत्रण और सरकारी संपत्ति पर हमले जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बल को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सूचना मिलने पर दंगा निरोधी दस्ते को 20 मिनट के भीतर घटनास्थल के लिए रवाना किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक माह का विशेष प्रशिक्षण आयोजित होगा तथा जवानों के लिए हर तीन माह में एक सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बल के प्रशिक्षण, उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।

जिला कलेक्टर ने छोटी सरवन में राजकीय कार्यालयों का किया निरीक्षण

बांसवाड़ा@पदमावत मीडिया। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने छोटी सरवन क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत समिति में कार्यालय व्यवस्थाओं एवं उपस्थिति पंजीका की जांच कर विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने, योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विती और आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अपनी समन्वय के साथ कार्य करने तथा विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

नगर निकाय एवं पंचायतीराज चुनाव के लिए मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण

उदयपुर@पदमावत मीडिया। नगर निकाय एवं पंचायतीराज चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के निर्देशन में बुधवार को सुखाड़िया रंगमंच सभागार में ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के सभी ब्लॉकों से चार-चार मास्टर ट्रेनर्स को इंटीमेट एवं वीवीपेट के संचालन, संधारण और उपयोग का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को मशीनों की कार्यप्रणाली, आवश्यक सावधानियां और संपावित तकनीकी परिस्थितियों से निपटने की जानकारी दी गई। रात्र्ययी मास्टर ट्रेनर डॉ. महामायाप्रसाद चौबीसा ने बताया कि मास्टर ट्रेनर्स को हैड्स-ऑन प्रशिक्षण भी दिया गया। ये प्रशिक्षक आगामी दिनों में मतदान दलों को ईवीएम-वीवीपेट संचालन का प्रशिक्षण देंगे।

सलूम्बर में मतदान केंद्रों का निरीक्षण, जिला निर्वाचन अधिकारी ने परखी चुनावी तैयारियां

जिला निर्वाचन अधिकारी मुहम्मद जुनेद पीपी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, मतदाताओं की सुविधाओं पर विशेष जोर

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

पैसे दोगुने करने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा

सवाई माधोपुर@पदमावत मीडिया। मानदठान थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर पैसे दोगुने करने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया। पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदी गई बोलोरो और दो एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी मनमोहन उर्फ मोनू मीणा निवासी रईखा कलां को गिरफ्तार किया गया। गिरोह सोशल मीडिया पर फर्जी चैनल और आईडी बनाकर लोगों को निवेश के नाम पर आकर्षक रिटर्न का झांसा देता था। इसके बाद जीएसटी, निकासी और कमीशन के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूली जाती थी। पुलिस के अनुसार गिरोह करीब 30 लाख रुपये की ठगी कर चुका है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी सिम और बैंक खातों से जुड़े नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी है। मामले में आगे अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में मानदठान थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक प्रेमप्रकाश, हेड कांस्टेबल सूरजपाल तथा कांस्टेबल अशोक व हरिसिंह शामिल रहे।



पुलिस थाना पहाड़ा की बड़ी कार्रवाई: पुरानी रंजिश में वृद्ध की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सिर पर पत्थर से किया था वार

उ द य प उ र @ पदमावत मीडिया। जिले के पुलिस थाना पहाड़ा क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर वृद्धा पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा रजत विश्नोई एवं वृत्ताधिकारी ऋषभदेव अर्जुन सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी पहाड़ा राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। घटना के संबंध में रमेश खराड़ी ने थाना पहाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 अगस्त 2026 की रात करीब 9:30 बजे वह अपनी पत्नी के साथ घर पर था। उसके माता-पिता मणीदेवी और भगवानलाल पास के घर में मौजूद थे। इसी दौरान प्रकाश पुत्र कावा गमेती, चुन्नीलाल, लोकेश एवं अरविन्द लाडियां और पत्थर लेकर वहां पहुंचे और दोनों पर हमला कर दिया। आरोप है कि प्रकाश ने मणीदेवी के सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। परिजन एवं पड़ोसी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। अनुसंधान के दौरान पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपी प्रकाश पुत्र कावा गमेती, उम्र 26 वर्ष, निवासी डैयावाड़ा को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात करना स्वीकार किया। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा, सहायक उप निरीक्षक कालूलाल चव्हाण, हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, कांस्टेबल महेश कुमार, संदेश कुमार एवं कल्याण प्रसाद शामिल थे।



फलासिया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बाइक पर स्टंट कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार, बाइक जब्त

उदयपुर@पदमावत मीडिया। जिले में बाइक पर स्टंट कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने एवं आमजन की जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर डॉ. अमृता दुहन के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा रजत विश्नोई एवं पुलिस उअ अधीक्षक झाड़ोल विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी फलासिया वेलाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर जानकारी जुटाई गई। जांच में सामने आया कि भंवरलाल पुत्र नानालाल कटारा, निवासी नया खोला, थाना फलासिया बाइक पर स्टंट कर वीडियो बना रहा था और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था। पुलिस टीम ने भंवरलाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक नंबर आरजे 27 एडब्ल्यू 7800 को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त किया। पुलिस के अनुसार बाइक पर स्टंट कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट कर आमजन की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।



एनसीसी युवाओं में नेतृत्व क्षमता और अनुशासन विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम: एयर कमांडोएस.के. आनंद

कोटा@पदमावत मीडिया। डीडीजी एनसीसी राजस्थान एयर कमांडो एस.के. आनंद ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में 14 राज एनसीसी बटालियन का दौरा कर प्रशिक्षण एवं कैडेट्स से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपुरु डॉ. नितिन चौधरी से शिष्टाचार भेंट भी की। विश्वविद्यालय में कैडेट्स को संबोधित करते हुए एयर कमांडो आनंद ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों ने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति और टीम भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कैडेट्स को एनसीसी के माध्यम से उपलब्ध शिक्षा, रोजगार एवं



अवैध मदिरा पर आबकारी विभाग का शिकंजा, हजारों लीटर वॉश और भट्टियां नष्ट

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

उदयपुर। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में प्रदेशभर में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए विभिन्न जिलों में नाकाबंदी, गश्त और दबिश की कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा जब्त की गई, जबकि हजारों लीटर वॉश एवं अवैध शराब बनाते वाली भट्टियों को मौके पर ही नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान कई प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में विभाग द्वारा अवैध मदिरा के खिलाफ जीरो



टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूसरे राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी के साथ-साथ अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर आबकारी निरोधक टीमों को लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत श्रीगंगानगर के नहरी क्षेत्र स्थित 500 एलएनपी ग्राम में आबकारी टीम ने दबिश देकर अवैध शराब निर्माण के लिए



तैयार की गई करीब 5 हजार लीटर वॉश एवं 3 भट्टियों को नष्ट किया। मामले में अभियोग दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। नागौर जिले के परबतसर क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान आबकारी टीम ने एक मोटरसाइकिल की जांच की। मोटरसाइकिल पर बंधे थैलों से 45 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद की गई। टीम ने शराब जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ प्रकरण



दर्ज किया। इसी क्रम में आबकारी सर्कल नावां में कार्रवाई के दौरान 63 पक्वे देशी मदिरा, 8 पक्वे कंट्री क्लब व्हिस्की, 9 पक्वे व्हाइट लॉक वोल्का आरएमएल तथा 12 बोतल बीयर बरामद की गई। इस मामले में भी अभियोग दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। जालोर जिले के आबकारी सर्कल भीनमाल में ईपीएफ की कार्रवाई के दौरान अवैध मदिरा बरामद की गई। टीम ने अवैध

अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों एवं दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। मतदान केंद्रों पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के साथ मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षित आवागमन को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और चुनाव से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप देने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद आयुक्त एवं उपखंड अधिकारी जगदीश चंद्र बामणिया सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रबोध कुमार गोविल के कृतित्व पर आधारित पुस्तक ‘प्रबोध बोध’ का लोकार्पण



जयपुर@पदमावत मीडिया। राही सहयोग संस्थान एवं राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित सभागार में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रबोध कुमार गोविल के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक ‘प्रबोध बोध’ का लोकार्पण एवं चर्चा आयोजित की गई। पुस्तक का संपादन वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कृष्णा खवत एवं इंद्र कुमार भंसाली ने किया है। वक्ताओं ने गोविल के साहित्यिक योगदान, दूरदर्शी सोच और लेखन में परंपरा एवं आधुनिकता के समन्वय को रेखांकित किया। विभिन्न साहित्यकारों ने उन्हें युगदृष्टा और कर्मयोगी बताया। प्रबोध कुमार गोविल ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने पुस्तक के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार किया था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके चाहने वालों के आग्रह पर यह पुस्तक आकार ले सकी। कार्यक्रम में रतन कुमार सांभरिया, पवनेश्वरी वर्मा, डॉ. कंचना सक्सेना, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सहित कई साहित्यकार उपस्थित रहे। संचालन प्रो. नीरज रावत ने किया।

नुब्रा में पर्यटन से जुड़े लोगों को नशा, साइबर अपराध और नए कानूनों की जानकारी



नुब्रा/लद्दाख@पदमावत मीडिया। जिला पुलिस नुब्रा की ओर से साहसिक खेला एवं पर्यटन गतिविधियों से जुड़े संचालकों, कर्मचारियों और हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराधों से बचाव और नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए सुरक्षित एवं जिम्मेदार पर्यटन वातावरण बनाए रखने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। नशीले पदार्थों से दूर रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। साइबर ठगी, फर्जी पहचान, वित्तीय धोखाधड़ी और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग से बचने के उपाय भी बताए गए। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों ने समाधान किया।

जयपुर में अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 10 केंटर सामान जब्त

जयपुर@पदमावत मीडिया। नगर निगम जयपुर की सतर्कता शाखा ने बुधवार को शहर में अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 केंटर सामान जब्त किया। उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में डी-मार्ट सांगानेर हट्टीघाटी, मुल्लीपुरा स्क्रीम, बियानी कॉलेज रोड, विद्याधर नगर एवं सोएसके के सामने से अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। जब्त सामान को निगम के गोदाम में भिजवाया गया। सतर्कता टीम ने अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया। साथ ही चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर भारी चालान सहित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

